

महिला एवम् बाल विकास विभाग हरियाणा

स्त्री शक्ति पुरस्कार के लिए आवेदन


हरियाणा सरकार छः राष्ट्रीय पुरस्कारों (स्त्री शक्ति पुरस्कार) के लिए आवेदन आमंत्रित करती है:-

पात्रता :-

- *1 आवेदक की आयु एक जनवरी 2014 को 31 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह नाम सिफारिश की तिथि पर जीवित होना चाहिए।
- *1 आवेदक कम से कम विगत 5 वर्षों से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए।
- *1 आवेदक ने पहले इस अवार्ड को प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
- *1 "उस वर्ष में जिला महिला सम्मान या राज्य महिला सम्मान, जिस वर्ष के लिए उसे स्त्री शक्ति पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया जा रहा है" का मनोनीत व्यक्ति पात्र नहीं है।
- *1 स्त्री शक्ति पुरस्कार कानूनी और लिंग मुख्यधारा संबंधी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण के प्रभावी क्रियान्वयन के उत्थान के तहत आने वाली व्यापक/अलग-2 क्षेत्रों/ गतिविधियों में असाधारण परिस्थितियों में व्यक्तिगत, पुरुषों या महिलाओं/महिला समूहों/शैक्षणिक संस्थानों/ एनजीओ/राज्य महिला आयोग आदि को मुख्यतः उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है।

आवेदन जमा करवाना:-

ऊपरोक्त योग्यता मानदंड को पूरा करने वाले व्यक्ति 05.01.2015 तक निम्न उल्लेखित प्रारूप पर दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के साथ उनके जिले के उपायुक्त के अनुशंसापत्र के साथ महानिदेशक, महिला एवम् बाल विकास विभाग, हरियाणा, बेय सं. 15-20, सेक्टर-4, पंचकुला (फोन 0172-2560349) के पास अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदक पूर्वोक्त पते पर निदेशालय में एडवांस कॉपी भी भेज सकते हैं।

- | | |
|---|---|
| 1. पुरस्कार जिसके लिए आवेदन किया है |  |
| 2. कार्य क्षेत्र | |
| 3. गत पाँच वर्ष में उपलब्धियाँ | |
| 4. कार्य निष्पादन हेतु किये गए कार्य का ब्यौरा | |
| 5. महिलाओं के उत्थान में योगदान/प्रभाव | |
| 6. इस पुरस्कार हेतु व्यक्तिगत कार्य निष्पादन को असाधारण कैसे माना जाए? | |
| 7. उम्मीदवार का प्रोफाइल, फोन न., डीओबी, माताओं का नाम, पता, बैंक खाता, (बैंक शाखा, आईएफसी कोड) | |

महानिदेशक,
महिला एवम् बाल विकास विभाग
हरियाणा, पंचकुला।